- (ठ) "रेजीडेंशियल रीयल एस्टेटप्रोजेक्ट (RREP)" का अभिप्रायः उसरीयल एस्टेट प्रोजेक्ट(REP) से होगा जिनमें किसी वाणिज्यिक अपार्टमेंट्स का कारपेट एरिया उस रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) के सभी अपार्टमेंट्स के कुल कारपेट एरिया के 15% से अधिक न हो।
- (ढ) "फ्लोर स्पेस इन्डेक्स (एफएसआई)" से अभिप्रायः किसी भवन के कुल फ्लोर एरिया (सम्पूर्ण फ्लोर एरिया) और उस भू-खण्ड के क्षेत्रफल के अनुपात से है जिसपर कि ऐसे भवन का निर्माण हुआ हो।
- 2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2019 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/32/2019 -टीआरयू]

प्रमोद कुमार, उप सचिव

नोट:- प्रधान अधिसूचना सं. 13/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून 2017 को सा.का.िन. 692(अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 29 /2018 – केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 31 दिसम्बर, 2018, सा.का.िन. 1273(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 के तहत, के द्वारा संशोधन किया गया है

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2019

No. 05/2019- Central Tax (Rate)

G.S.R. 252(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.13/2017- Central Tax (Rate), dated the 28thJune, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 692(E), dated the 28thJune, 2017, namely:-

In the said notification, -

(i) in the Table, after serial number 5A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"5B	Services supplied by any person	Any person	Promoter.
	by way of transfer of		
	development rights or Floor		
	Space Index (FSI) (including		
	additional FSI) for construction		
	of a project by a promoter.		
5C	Long term lease of land (30 years	Any person	Promoter.";
	or more) by any person against		
	consideration in the form of		
	upfront amount (called as		
	premium, salami, cost, price,		
	development charges or by any		
	other name) and/or periodic rent		
	for construction of a project by a		
	promoter.		

- (ii) in the Explanation, after clause (h), the following clauses shall be inserted, namely: -
 - "(i) The term "apartment" shall have the same meaning as assigned to it in clause (e) under section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2017).

- (j) the term "promoter" shall have the same meaning as assigned to it in clause (zk) under section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2017).
- (k) the term "project" shall mean a Real Estate Project (REP) or a Residential Real Estate Project (RREP);
- (l) "the term "Real Estate Project (REP)" shall have the same meaning as assigned to it in in clause (zn) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016).
- (m) The term "Residential Real Estate Project (RREP)" shall mean a REP in which the carpet area of the commercial apartments is not more than 15 per cent. of the total carpet area of all the apartments in the REP.
- (n) "floor space index (FSI)" shall mean the ratio of a building's total floor area (gross floor area) to the size of the piece of land upon which it is built."
- 2. This notification shall come into force with effect from the 1st of April, 2019.

[F. No. 354/32/2019- TRU] PRAMOD KUMAR, Dy. Secy.

Note: -The principal notification No. 13/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 692 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No.29/ 2018- Central Tax (Rate), dated the 31st December, 2018 *vide* number G.S.R. 1273 (E), dated the 31st December, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2019

सं. 6/2019-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.िन. 253(अ).—केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार परिषद की सिफारिश पर एतद्वारा पंजीकृत व्यक्तियों के निम्नलिखित वर्गों को अधिसूचित करती है, अर्थात:-

- (i) कोई प्रमोटर जो कि 01 अप्रैल, 2019 को या उसके बाद नकद सिहत किसी अन्य रूप में वाणिज्यिक या आवासीय अपार्टमेंट की निर्माण सेवा के रूप में, पूर्णत:या अंशत:, उनके द्वारा भुगतान की गई विचाराधीन अचल संपत्ति परियोजना के निर्माण के लिए, डेवलपमेंट राइट या फ्लोर स्पेस इन्डेक्स (अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इन्डेक्स सिहत) प्राप्त करता है;
- (ii)कोई प्रमोटर जो कि 01 अप्रैल, 2019 को या उसके बाद अग्रिम राशि के रूप में (जिसे प्रीमियम, सलामी, लागत, मूल्य, विकास शुल्क या किसी अन्य नाम से पुकारा जाता है), उनके द्वारा भुगतान की गई विचाराधीन रियल एस्टेट परियोजना में, आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण के लिए भूमि का दीर्घकालिक पट्टा प्राप्त करता है,

पंजीकृत व्यक्तियों के रूप में जिनके मामले में केंद्रीय कर का भुगतान करने की देयता है, -

- (क) डेवलपमेंट राइट या फ्लोर स्पेस इन्डेक्स (अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इन्डेक्ससिहत) की आपूर्ति के लिए प्रोजेक्ट में वाणिज्यिक या आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण सेवा के रूप में उनके द्वारा भुगतान किया गया प्रतिफल; या
- (ख) किसी प्रोजेक्ट में आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण के लिए संबद्ध डेवलपमेंट राइट या एफसीआई(अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इन्डेक्स) की आपूर्ति के लिए, उनके द्वारा भुगतान किया गया प्रतिफल; या
- (ग) किसी प्रोजेक्ट में आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण के लिए संबद्ध भूमि के दीर्घकालिक पट्टे के लिए उनके द्वारा भुगतान की जाने वाली अग्रिम राशि (जिसे प्रीमियम, सलामी, लागत, मूल्य, विकास शुल्क या किसी अन्य नाम से पुकारा जाता है); या